न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सीमा मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रार्थना पत्र संख्या:–186/प्रा0पत्र/2021 (GCMS NO.2021/359) दायरा दिनांक :– 13.12.2021

1. गंगासागर आ0 रामप्रताप जाति मीणा निवासी ग्राम नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
2. गिरिराज आ0 रामप्रताप जर्येवली माता संरक्षक केली पत्नि रामप्रताप जाति मीणा निवासी ग्राम नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
3. नवरंगी पुत्री रामप्रताप जाति मीणा निवासी ग्राम नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
4. ममता पुत्री रामप्रताप जर्येवली माता संरक्षक केली पत्नि रामप्रताप जाति मीणा निवासी ग्राम नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
5. राधा पुत्री रामप्रताप जाति मीणा निवासी ग्राम नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
6. रामकन्या पुत्री कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
7. विनिता पुत्री कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
8. सुखपाल आ0 कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
9. सुखपाली पुत्री कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
10. सुरजी पुत्री कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. बजरंगा आ0 गेन्दी लाल जाति तेली निवासी ग्राम नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
2. राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार साहब तहसील नैनवां, जिला–बून्दी।

प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– धारा 251 'क' आर.टी.एक्ट.

वकील प्रार्थी:– श्री शम्भूलाल नागर
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 28.01.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज. की भूमि खसरा संख्या 71 रकबा 0.5339 हेक्टर, भूमि खसरा संख्या 72 रकबा 0.2589 हेक्टर भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में जाने का एक रास्ता तलवास से नीमखेडा जाने वाले रास्ते से पूर्वी और फट कर खसरा संख्या 485 में होता हुआ, प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में जाता है जो खसरा संख्या 72 सिवायचक भूमि में होकर आता है। खसरा संख्या 485 ग्राम भंवरखोल में स्थित है जो प्रत्यार्थी संख्या 1 के खातेदारी की है। यह रास्ता अवाचीन है जो पीढियों से चला आ रहा है जिसमें होकर आने जाने आवागमन करने ट्रेक्टर, बैलगाडी, हल कुल्ली आदि लाने ले जाने के उपयोग उपभोग में प्रार्थीगण के काम में आ रहा है इस रास्ते पर होकर आने जाने का प्रार्थीगण को सुखाधिकार प्राप्त हो चुका है। यह रास्ता 12 फुट चौडा है इस रास्ते को आगे जाकर विवादित भूमि के नाम से पुकारा जायेगा। इस रास्ते को परिशिष्ट ''अ'' में लाल स्याही से दर्शाया गया है, परिशिष्ट ''अ'' को भी प्रार्थना पत्र का भाग माना जावे। यह कि विवादित रास्ता सकडा पडता है जिसको 15 फीट चौडा किया जाना चाहिए। यह कि विवादित रास्ता घोषित करने व 15 फीट चौडा करने में जितनी भी भूमि प्रत्यार्थी संख्या 1 की आती है उतना युक्ति युक्त प्रतिकर प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है। यह कि गिर्राज व ममता नाबालिक है जो अपने माता पिता केली की विधिक संरक्षता में रहते है दोनों के हित समान है किसी भी स्थिति में एक दुसरे के प्रतिकूल नही है इस कारण गिर्राज व ममता को जर्येवली माता केली को पक्षकार बनाया गया है। गिर्राज व ममता के पिता व केली के पति रामप्रताप का देहावसान हो चुका है। यह कि प्रत्यार्थी संख्या 1 गत सप्ताह से विवादित रास्ते पर होकर आवागमन करने में बाधा खडी करता है लडाई झगडा करता है और रास्ते को फाड कर अपने खेत पर मिलाने आमदा है और कहता है कि तुम्हे इस रास्ते पर होकर नही निकालने दुंगा। यह कि प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित विवादित रास्ते व परिशिष्ट ''अ'' में लाल स्याही से दिखाये गये रास्ते को प्रार्थीगण के खेत में जाने के रास्ता घोषित कराकर 15 फीट चौडा करवाये एवं नक्शा ट्रेस व अन्य भू.राजस्व अभिलेखो में रास्ते के रूप में दर्ज करवाकर तदनुसार आवश्यक संशोधन करवाये एवं प्रत्यार्थी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा जारी करवाये कि प्रत्यार्थी

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित रास्ते से होकर प्रार्थीगण के आवागमन करने हल, कुली, बैल गाडी लाने ले जाने व उपयोग उपभोग में कोई हस्तक्षेप न करें न ही ऐसा से करवाये यदि ऐसा नही किया गया तो प्रार्थीगण रास्ते व उपयोग उपभोग से वंचित हो जिससे प्रार्थीगण को महान एवं अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका नकद रूप मे मुल्यांकन नही हो सकेगा। यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार गंगासागर बनाम बनाम बजरंगा आदि में भू0अ0 निरीक्षक तलवास व पटवारी हल्का तलवास द्वारा दिनांक 22.02.2024 को रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है–

यह कि उक्त प्रकरण में पूर्व में तत्कालिन भू0अ0 निरीक्षक वृत तलवास द्वारा खसरा नम्बर 486 की दक्षिणी मेर के सहारे रास्ता प्रस्तावित किया गया था जिसकी लम्बाई, चौडाई का विवरण निम्नानुसार है–

ख0न0	खातेदार	किस्म	लम्बाई	चौडाई	क्षैत्रफल
486	बजरंगा	बारानी 3	38 मीटर	4 मीटर	152 वर्गमीटर
					अर्थात 0.0152 हैक्ट.

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण ने रास्ते का प्रतिकर अदा करने हेतु भी प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र वास्ते रास्ता दिये जाने बाबत् स्वीकार किया जाता है।

अतः ग्राम नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज. की भूमि खसरा संख्या 71 पर पहुंचने हेतु खसरा संख्या 486 में से तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित लम्बाई एवं चौडाई का रास्ता, जिसे प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट में लाल लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ट को परिशिष्ट 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा मीणा)
आर0ए0एस(प्रशिक्षु)
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

आंशिक नकल नक्शा ट्रेस

ग्राम गर्दखोल

तहसील - नैनवां

जिला - बूंदी

परिशिष्ट - "क"

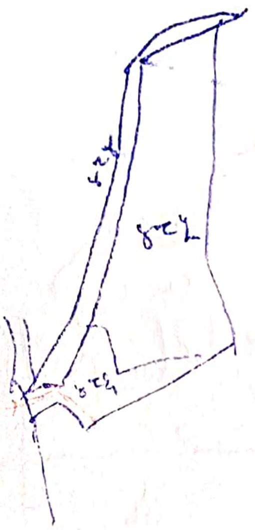

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

P-35 क्रमांक
150

15/02/2024

पटवारी
हरिराम पिता मिठुलाल
प०म०— नैनवां (बून्दी)